HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10235/2026
CNR: RJHC020610762026 | URN: CRLMB / 18967U / 2026

Vijay Yogi S/o Shri Heeralal, Aged About 21 Years, R/o Natho Ka Mohalla, Village Payavadi, Police Station Baroni, District Tonk, (Raj.). (At Present Confined In Central Jail (Raj.).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishal Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

06/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी एन एस एस के अन्तर्गत पुलिस थाना **रामनगरिया, जयपुर पूर्व** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 271/2026 अपराध अन्तर्गत धारा **3/25 (1–बी)(ए), 25(6) आर्म्स एक्ट** धारा 111(2)(बी) बी एन एस में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से इस प्रकरण में आलिप्त किया गया हैं, प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसांन हो चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से फायर आर्म्स रखने व बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त का 02 आपराधिक प्रकरणों का रिकोर्ड है, जो वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट के पश्चात के है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विजय योगी पुत्र हीरालाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

95/Murari Lal Sharma